बैंक ऑफ महाराष्ट्र

भारत सरकार का उद्यम **एक परिवार एक बैंक**

अंचल कार्यालय–एलडीए ऑफिस के सामने, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, ई–मेल–legal_luc@mahabank.co.in, प्रधान कार्यालय–लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे–5

ई-नीलामी सूचना

ई–नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आम सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा सहपठित नियम 8(6) व 9 (1) of 2002 के अंतर्गत की नीलामी के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना

इस आम सूचना के द्वारा बैंक के अनर्जक खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक हैं तथा जिनका कब्जा (सांकेतिक / प्रत्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लिया जा चुका है। यह संपत्तियाँ **"जहाँ है जैसी है" "जैसा है जो है" "जहां भी है"** तथा **"दायित्व रहित"** आधार अनर्जक खातों में ऋण की वसूली हेतु नीचे उलिखित तिथि को ई नीलामी द्वारा विक्रय की जाएंगी। अनर्जक खाते, खाताधारक, जमानतदार, बैंक पर बकाया धनराशि, ऑनलाइन नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का प्रकार, विक्रय की धनराशि (RESERVE PRICE), नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली पूर्व धनराशि (**EMD AMOUNT**) इत्यादि की जानकारी निम्नलिखित है–

ई-नीलामी की दिनांक व समय लॉट सं. 1 से 14 तक	**17/03/2026 को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक (बोली वृद्धि प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)**	निविदा जमा करने / के.वाई.सी. दस्तावेज / ईएमडी इत्यादी जमा करने की अंतिम तिथि–17.03.2026
ई-नीलामी की दिनांक व समय लॉट सं. 15 से 18 तक	**20/03/2026 को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक (बोली वृद्धि प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)**	निविदा जमा करने / के.वाई.सी. दस्तावेज / ईएमडी इत्यादी जमा करने की अंतिम तिथि–20.03.2026
ई-नीलामी की दिनांक व समय लॉट सं. 19 से 34 तक	**30/03/2026 को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक (बोली वृद्धि प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)**	निविदा जमा करने / के.वाई.सी. दस्तावेज / ईएमडी इत्यादी जमा करने की अंतिम तिथि–30.03.2026

क्र. सं.	ऋणी / ज़मानतदार का नाम एवं पता	बकाया धनराशि जिसके लिए सम्पत्ति विक्रय की जा रही है	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि की राशि
	शाखा–बांदा, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
1.	1) **श्री प्रशांत कुमार गुप्ता,** पता– कटरा निकट डॉ. भार्गव बांदा पिन–210001 2) **श्री मुकेश कुमार गुप्ता,** पता– कटरा निकट डॉ. भार्गव बांदा पिन–210001	रू. **19,96,763 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 21.02.2025 से	**लॉट सं. 1)** संपत्ति के वे सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित मकान संख्या 269 / 12 पुराना मकान संख्या 232 / 12 खसरा संख्या 983, मोहल्ला कटरा सिटी, नेरा भार्गव नर्सिंग होम हॉस्पिटल अर्दली बाजार रोड बांदा उ.प्र., **क्षेत्रफल– 169.906 वर्ग मीटर, चौहद्दी–:उत्तरः** महेश जी का मकान, **दक्षिणः** सड़क, **पूर्वः** सड़क, **पश्चिमः** उपेंद्रनाथ जी का मकान	सांकेतिक	रू. 30,00,000 /– रू. 3,00,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–बांदा, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
2.	1. **श्री केशव सिंह, पुत्र भगवान दीन,** ग्राम– मनीकपुर, बड़ोखर, बांदा, उ.प्र. –210001 2. **श्रीमती रेखा सिंह, पत्नी श्री केशव सिंह,** ग्राम मनीकपुर, बड़ोखर, बांदा, उ.प्र. –210001	रू. **16,55,651.00** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 31.10.2024 से	**लॉट सं. 2)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित प्लॉट संख्या 100मिन, पलहरी, तहसील–सदर, जिला–बांदा, उ.प्र., **क्षेत्रफलः 1200 वर्ग फीट, चौहद्दीः–उत्तरः** गाटा संख्या 101, **दक्षिणः** 18 फीट चौड़ा सड़क, **पूर्वः** पी / ओ सरिता, **पश्चिमः** पी / ओ अन्य	सांकेतिक	रू. 10,10,000 /– रू. 1,01,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–जगदीशपुर, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
3.	1) **श्रीमती शांति देवी पत्नी सूर्य कुमार,** पता 1–ग्राम सेवरा सेवरा तहसील मुसाफिरखाना जिला अमेठी– 227811, पता 2–खसरा नंबर–432 पर प्लॉट ग्राम–सेवरा परगना–जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना जिला अमेठी– 227811 2) **श्रीमती नेहा शुक्ला पत्नी सूर्य कुमार,** पता–ग्राम सेवरा जिला अमेठी 227811	रू. **26,61,893.00** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 28.05.2025 से	**लॉट सं. 3)** सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निर्मित व फिक्चर्स के साथ प्लॉट नंबरः खसरा नंबर 432 क्षेत्रफल 1750 वर्ग फीट, बही नंबर 1, पेज नंबर 377–392, जिल्द नंबर 5591, डीड नंबर 184 रजिस्टर्ड दिनांक 09 / 01 / 2024. ग्राम–सेवारा परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला अमेठी, **क्षेत्रफलः 1750 स्क्वेयर फीट, चौहद्दीः उत्तरः** स्कूल की भूमि, **दक्षिणः** इमरान की भूमि, **पूर्वः** संपर्क मार्ग नवाज़गढ़ से पूरे मूर्ति, **पश्चिमः** राममिलन की भूमि	सांकेतिक	रू. 34,50,000 /– रू. 3,45,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–उन्नाव, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
4.	1) **विनीत कुमार सिंह पुत्र गिरीश चंद्र,** श्री साईं हॉस्पिटल, चौरा मोड़, जुराखन खेड़ा, उन्नाव 209861 उ.प्र. 2) **श्रीमती कोमल यावद पत्नी विनीत कुमार सिंह,** श्री साईं हॉस्पिटल, चौरा मोड़, जुराखन खेड़ा, उन्नाव 209861 उ.प्र.	रू. **26,01,810 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 28.02.2025 से	**लॉट सं. 4)** सम्पत्ति के सभी भाग आवासीय प्लॉट स्थित भूमि / खसरा संख्या 425 मी, उन्नाव बहार नगर पालिका, मोहल्ला पूरन नगर, तहसील व जिला उन्नाव, **क्षेत्रफल 111.52 वर्ग मीटर**	सांकेतिक	रू. 32,10,000 /– रू. 3,21,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–बहराइच, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
5.	1) **श्रीमती शमा खातून, पत्नी हाजी शफ़ी उल्लाह,** पताः काज़ीपुरा (दक्षिण), मूसाफिर खाना के पास, बहराइच, उत्तर प्रदेश–271801 2) **हाजी शफ़ी उल्लाह, पुत्र पचकुरी,** पताः काज़ीपुरा (दक्षिण), मूसाफिर खाना के पास, बहराइच, उत्तर प्रदेश– 271801 3) **शकील अहमद, पुत्र हाजी शफ़ी उल्लाह,** पताः काज़ीपुरा (दक्षिण), मूसाफिर खाना के पास, बहराइच, उत्तर प्रदेश–271801 4) **शकील अहमद, पुत्र हाजी शफ़ी उल्लाह,** पताः दुकान, पचखुरी होटल, घंटा घर के पास, तहसील / जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश 5) **इक़रार अहमद, पुत्र इक़बाल अहमद,** पताः काज़ीपुरा (दक्षिण), मूसाफिर खाना के पास, बहराइच, उत्तर प्रदेश–271801	रू. **20,74,934 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 14.09.2023 से	**लॉट सं. 5)** साम्यिक बंधक प्लॉट व भूमि स्थित मकान संख्या 7 / 7, मोहल्ला काज़ीपुरा (दक्षिण), जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, **क्षेत्रफलः 1122.85 वर्ग फीट चौहद्दीः–उत्तरः** सीसी रोड, 12 फीट चौड़ी, **पूर्वः** रास्ता, 5 फीट चौड़ा, **पश्चिमः** अब्दुल रफीक का प्लॉट, **दक्षिणः** दीवार एवं लल्लन का मकान	सांकेतिक	रू. 35,00,000 /– रू. 3,50,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–बाराबंकी, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
6.	1.**श्री अरुण कुमार नायक, पुत्र श्री चंद्र भूषण नायक,** पता 1: 570 / एस–85, सैनिक नगर, चंदर नगर, अलमबाग, बेंती, लखनऊ, उ.प्र.–226005, पता 2: ग्राम अहमदपुर उर्फ़ कमलापुर, बपरदवत, तहसील –सरोजनी नगर, लखनऊ, उ.प्र.–226008	रू. **22,35,767.00** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 21.08.2025 से	**लॉट सं. 6)** साम्यिक बंधक संपत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित ग्राम– अहमदपुर उर्फ़ कमलापुर, बिजनौर, तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ, उ.प्र., **क्षेत्रफलः 1500 वर्ग फीट, चौहद्दीः–उत्तरः** सुरेंद्र कुमार का प्लॉट, **दक्षिणः** किरण देवी का प्लॉट, **पूर्वः** सुरेंद्र कुमार के प्लॉट का शेष भाग, **पश्चिमः** 20 फीट चौड़ा मार्ग	सांकेतिक	रू. 15,90,000 /– रू. 1,59,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–आस्ति वसूली शाखा (ARB), लखनऊ, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
7.	**श्री संतोष कुमार सोनी, पुत्र स्व. लक्ष्मी नारायण सोनी,** पताः 1225, मुंशीगंज, नवाबगंज, उ.प्र.–225001 **श्री राहुल सोनी, पुत्र श्री संतोष कुमार सोनी,** पताः 1225, मुंशीगंज, नवाबगंज, उ.प्र.–225001	रू. **14,67,926.70** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 13.03.2024 से	**लॉट सं. 7)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित फ्लैट / अपार्टमेंट संख्या 1225, तीसरे तल पर, वाई.एल. प्लाज़ा भवन में, वाई.एल. अपार्टमेंट, मुंशीगंज, जिला–बाराबंकी, उप–जिला– नवाबगंज, सीटीएस / सर्वे नंबरः प्लॉट संख्या 263, **क्षेत्रफलः 35.13 वर्ग मीटर चौहद्दीः–उत्तरः** सोहन लाल का प्लॉट, **दक्षिणः** हेमराज का प्लॉट, **पूर्वः** विक्रेता के शेष प्लॉट, **पश्चिमः** 14 फीट चौड़ा सड़क, तत्पश्चात विक्रेता का मकान	सांकेतिक	रू. 35,90,000 /– रू. 3,59,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–रायबरेली, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
8.	1. **मेसर्स ए.एस. इंटरप्राइजेज, प्रो. अंकिता सिंह, पत्नी श्री जितेंद्र बहादुर सिंह,** पताः अहियापुर, सरस्वती नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश –229001 2. **अंकिता सिंह, पत्नी श्री जितेंद्र बहादुर सिंह,** पताः अहियापुर, सरस्वती नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश–229001 3. **पुष्पा सिंह, पत्नी श्री उदय प्रताप सिंह,** पताः 16 / 3, सरस्वती नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश –229001	रू. **15,90,215.00** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 25.04.2025 से	**लॉट सं. 8)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित गाटा संख्या 622, ग्राम–किशुनपुर, राम चंद्र (नई बस्ती, धामसिराई कर पुरवा), जिला– रायबरेली, **क्षेत्रफलः 158.25 वर्ग मीटर चौहद्दीः–उत्तरः** प्रस्तावित 15 फीट चौड़ा सड़क, **दक्षिणः** राम चरण का प्लॉट, **पूर्वः** पंकज मौर्य का मकान, **पश्चिमः** गुड्डन सिंह का मकान	सांकेतिक	रू. 15,70,000 /– रू. 1,57,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–सीतापुर, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
9.	1. **श्री मोनू सिंह,** पता 1: सी / 197, आवास विकास कॉलोनी, सीतापुर –261001, पता 2: प्लॉट संख्या जी–8, ग्राम जमैयतपुर, परगना–खैराबाद, सीतापुर–261001 2. **श्री श्याम पाल सिंह,** पता 1: सी / 197, आवास विकास कॉलोनी, सीतापुर –261001, पता 2: प्लॉट संख्या जी–8, ग्राम जमैयतपुर, परगना–खैराबाद, सीतापुर–261001	रू. **20,23,035.00** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 23.10.2024 से	**लॉट सं. 9)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित ग्राम–जमैयतपुर, परगना–खैराबाद, सर्वे नंबर 814, 815ख, तहसील–सीतापुर–261001, **क्षेत्रफलः 1040 वर्ग फीट चौहद्दीः–उत्तरः** प्लॉट संख्या जी–7, विक्रेता, **दक्षिणः** प्लॉट संख्या जी–9, विक्रेता, **पूर्वः** राजकुमार अग्रवाल की भूमि, **पश्चिमः** 25 फीट चौड़ा सड़क	सांकेतिक	रू. 26,40,000 /– रू. 2,64,000 /– रू. 20,000 /–
10.	1. **मेसर्स श्री बालाजी टायमर्स (प्रो. श्री मोनू सिंह),** पताः सी / ओ श्री श्याम पाल सिंह, सी / 197, आवास विकास कॉलोनी, सीतापुर–261001 2. **श्री मोनू सिंह,** पता 1: प्लॉट संख्या जी–8, ग्राम– जमैयतपुर, परगना–खैराबाद, तहसील–सीतापुर, सीतापुर–261001, पता 2: ग्राम –ललियापुर, परगना–खैराबाद, तहसील–सीतापुर, सीतापुर–261001	रू. **13,70,300.00** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 08.07.2025 से	**लॉट सं. 10)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित ग्राम– ललियापुर, उप–जिला– सीतापुर, जिला–सीतापुर, सीटीएस / सर्वे नंबर 142, **क्षेत्रफलः 170 वर्ग फीट चौहद्दीः–उत्तरः** ताहिर अली की दुकान, **पूर्वः** खदीले राम की दुकान, **पश्चिमः** खैराबाद से मछरेटा रोड, **दक्षिणः** खदीले राम की दुकान	सांकेतिक	रू. 10,10,000 /– रू. 1,01,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–मोहनलालगंज, लखनऊ, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
11.	1) **मेसर्स श्री श्याम इंटरप्राइजेज (प्रो. श्री सतीश कुमार वैष),** पताः आर.बी.एल. रोड, मऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, उ.प्र. –226301 2) **श्री सतीश कुमार वैष, पुत्र स्व. राम कुमार वैष,** पताः आर.बी.एल. रोड, मऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, उ.प्र.–226301	रू. **38,98,855.46** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 16.09.2025 से	**लॉट सं. 11)** साम्यिक बंधक संपत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित प्लॉट संख्या 1 / 0.196 हेक्टेयर का भाग, ग्राम–अत्रौली, संकट मोचन मंदिर के पास, कसबा– मोहनलालगंज, लखनऊ, उ.प्र., **क्षेत्रफलः 2230 वर्ग फीट, चौहद्दीः–उत्तरः**सड़क और मैरिज हॉल, **दक्षिणः** खुला प्लॉट, **पूर्वः** खुला प्लॉट, **पश्चिमः** अनामिका मिश्रा का प्लॉट	सांकेतिक	रू. 43,40,000 /– रू. 4,34,000 /– रू. 20,000 /–
12.	1) **मेसर्स कुमार इंटरप्राइजेज (प्रो. श्री सुरेश कुमार वैष),** पताः मऊरावन रोड, मऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, पिन–226301 2) **श्री सुरेश कुमार वैष,** पताः मऊरावन रोड, मऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, पिन–226301 3) **श्री राहुल गुप्ता, पुत्र श्री सुरेश कुमार,** पताः मऊरावन रोड, मऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, पिन–226301	रू. **27,62,601.91** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 18.07.2025 से	**लॉट सं. 12)** साम्यिक बंधक संपत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित रजिस्टर संख्या 4, फ़ाइल संख्या 52, पृष्ठ संख्या 297 / 300, सिलसिला संख्या 19, ग्राम–मऊ, कस्बा– मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ, **क्षेत्रफलः 1080.00 वर्ग फीट चौहद्दीः–उत्तरः** श्री बासंत लाल का मकान, **दक्षिणः** श्री सुभोध गुप्ता का प्लॉट, **पूर्वः** रास्ता, **पश्चिमः** श्री कहार का मकान	सांकेतिक	रू. 43,80,000 /– रू. 4,38,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–अलीगंज, लखनऊ, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
13.	**सुनिल कुमार, पुत्र अमर सिंह,** पता 1: मकान, प्लॉट संख्या 60, नगर निगम 614 / पी–060(ख.–285), ग्राम प्रीति नगर, लखनऊ, उ.प्र.– 226020, पता 2: सी–7 / 24, सेक्टर 6, दूसरा तल, एलडीए सुलभ आवास योजना अपार्टमेंट, लखनऊ, उ.प्र.– 226020	रू. **32,04,451 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 08.09.2025 से	**लॉट सं. 13)** साम्यिक बंधक सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित खसरा संख्या 285, सर्वे नंबर 614 / पी, ग्राम – प्रीति नगर, तहसील–लखनऊ, **क्षेत्रफलः 97.58 वर्ग मीटर चौहद्दीः–उत्तरः** आर.के. गुप्ता का उत्तर मकान, **पूर्वः** आर.के. सिंह का मकान, **पश्चिमः** सड़क, **दक्षिणः** मालिक का प्लॉट	सांकेतिक	रू. 48,00,000 /– रू. 4,80,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–बाराबंकी, ई–नीलामी दिनांक–17.03.2026				
14.	1. **मेसर्स श्री बालाजी वाटर सॉल्यूशन, प्रो. श्री विनीत कुमार दुबे,** पताः साईं सिटी, बरैल, नवाबगंज, बाराबंकी, उ.प्र.–225001 2. **श्री विनीत कुमार दुबे, पुत्र श्री शारदा प्रसाद दुबे,** पताः जारौली, असंद्रा, बाराबंकी, उ.प्र. –225416	रू. **10,79,196.54** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 01.05.2025 से	**लॉट सं. 14)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से, निर्मित वं फिक्स्चर सहित स्थित प्लॉट संख्या 1693 मिन, ग्राम–बरैल, उप–जिला–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी, उ.प्र., **क्षेत्रफलः 1000 वर्ग फीट चौहद्दीः–उत्तरः** बिक्री प्लॉट का शेष भाग, **दक्षिणः** अन्य प्लॉट, **पूर्वः** बिक्री प्लॉट का शेष भाग, **पश्चिमः**	सांकेतिक	रू. 60,00,000 /– रू. 6,00,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–आस्ति वसूली शाखा (ARB), लखनऊ, ई–नीलामी दिनांक–20.03.2026				
15.	**ऋणीः1) मेसर्स पैराडाइज़ टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड,** पताः ब्लॉक न. 51 अनुपम प्लाजा IInd (बेसमेंट) संजय पैलेस आगरा 282002 2) **राखी जैन पत्नी नीलेश जैन,** पताः बी–88 ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा फेज–1 कुबेरपुर आगरा उ.प्र.–282006 3) **मंजू जैन पत्नी कमलेश कुमार जैन,** पताः बी–88 ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा फेस–1 कुबेरपुर आगरा उ.प्र.–282006 4)**कमलेश कुमार जैन पुत्र श्री लखमी चंद्र जैन,** पता–1) 48 / 1, घेर खोखल, फिरोजाबाद–283203, पता–2) मकान न. 106 माखनलाल प्लाजा, पुतरिया महल, गली भाई, छठा वार्ड, आगरा– 282004 5) **डिम्पल जैन डियो स्व. कमलेश कुमार जैन,**पता–1) 48 / 1, घेर खोखल, फिरोजाबाद–283203, पता–2) मकान नंबर 106 माखनलाल प्लाजा, पुतरिया महल, गली भाई, छठा वार्ड, आगरा– 282004 **ज़मानतकर्ताः–1) राखी जैन पत्नी नीलेश जैन,** बी–88 ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा फेस–1 कुबेरपुर आगरा उ.प्र.–282006 2) **मंजू जैन पत्नी कमलेश कुमार जैन,** पताः बी–88 ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा फेस–1 कुबेरपुर आगरा उ.प्र. –282006 3)**कमलेश कुमार जैन पुत्र श्री लक्ष्मी चंद्र जैन,** पता–1) 48 / 1, घेर खोखल, फिरोजाबाद–283203, पता–2) मकान नंबर 106 माखनलाल प्लाजा, पुतरिया महल, गली भाई, छठा वार्ड, आगरा– 282004 4) **डिंपल जैन पुत्री स्व.कमलेश कुमार जैन,** पता–1) 48 / 1, घेर खोखल, फिरोजाबाद–283203, पता–2) मकान नंबर 106 माखनलाल प्लाजा, पुतरिया महल, गली भाई, छठा वार्ड, आगरा– 282004	रू. **78,81,518 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च	**लॉट सं. 15)** साम्यिक बंधक कामर्शियल कॉम्प्लेक्स स्थित युनिट नं. बी–12, बेसमेंट ब्लॉक नं. 51 / 1–5 अनुपम प्लाजा IInd, हरी पर्वत वार्ड, संजय पैलेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आगरा, **श्रीमती मंजू जैन पत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार जैन के नाम पर, क्षेत्रफल 28.39 वर्ग मीटर**	सांकेतिक	रू. 22,80,000 /– रू. 2,28,000 /– रू. 20,000 /–
			लॉट सं. 16) साम्यिक बंधक कामर्शियल कॉम्प्लेक्स स्थित युनिट नं. बी–10, बेसमेंट ब्लॉक नं. 51 / 1–5 अनुपम प्लाजा IInd, हरी पर्वत वार्ड, संजय पैलेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आगरा, **श्रीमती मंजू जैन पत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार जैन के नाम पर, क्षेत्रफल 28.39 वर्ग मीटर**	सांकेतिक	रू. 22,80,000 /– रू. 2,28,000 /– रू. 20,000 /–
			लॉट सं. 17) साम्यिक बंधक आवासीय भवन स्थित फ्लैट नंबर 106, प्रथम तल,संपत्ति संख्या 6 / 20 का भाग, मक्खन लाल प्लाजा, पुतरिया महल, गली बड़े भाई, छठा वार्ड, आगरा, **श्रीमती डिंपल जैन पत्नी कमलेश कुमार जैन और श्री. कमलेश कुमार जैन पुत्र स्व. लखमी चंद जैन के नाम पर।**	सांकेतिक	रू. 30,00,000 /– रू. 3,00,000 /– रू. 20,000 /–
16.	**ऋणी–श्री राजीव पुत्र श्री सुरेश चंद जैन, ज़मानतकर्ता– श्रीमती आरती जैन पत्नी श्री राजीव जैन** दोनों का पताः मकान नं. एफ–187 ट्रांस यमुना कॉलोनी, फेज–2, मौजा नराइच, तहसील एत्मादपुर जिला आगरा उत्तर प्रदेश 282006	रू. **26,92,379 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 08.09.2024 से	**लॉट सं. 18)** साम्यिक बंधक मकान स्थित ई.डब्ल्यू.एस. दो मंजिला मकान नं. एफ–197 स्थित ट्रांस यमुना कॉलोनी, फेज–2, मौजा नराइच, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। **एरिया 40.74 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती आरती जैन पत्नी श्री राजीव जैन के नाम, चौहद्दी– पूर्व–** मकान नं. एफ–198, **पश्चिम–** मकान नं. एफ–196, **उत्तर–** रास्ता 6 मीटर चौड़ा, **दक्षिण–** मकान नं. एफ–218	सांकेतिक	रू. 26,30,000 /– रू. 2,63,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–आस्ति वसूली शाखा (ARB), लखनऊ, ई–नीलामी दिनांक–30.03.2026				
17.	1) **श्री आरिफ पुत्र श्री महबूव अब्बासी (ऋणी),** पता 1: खेत नंबर–39 का हिस्सा, मुल्लापारा भुजपुरा, तहसील–कोइल, जिला–अलीगढ़ उ.प्र. 202001, पता 2: बरहेती कोइल अलीगढ़ उ.प्र.–202001 2) **श्रीमती नगीना पत्नी श्री महबूव अब्बासी (सह–ऋणी),** पता 1: खेत नंबर–39 का हिस्सा, मुल्लापारा भुजपुरा, तहसील–कोइल, जिला–अलीगढ़ उ.प्र. 202001, पता 2: बरहेती कोइल अलीगढ़ उ.प्र.–202001	रू. **25,00,378 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 23.09.2024 से	**लॉट सं. 19)** साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित गाटा नंबर–39 का हिस्सा, मौजा–मुल्लापारा भुजपुरा, परगना और तहसील कोइल, जिला–अलीगढ़ उ.प्र., **क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर, श्रीमती नगीना पत्नी श्री महबूब अब्बासी के स्वामित्व में चौहद्दीः– पूर्व–** 16 फीट चौड़ा रास्ता, **पश्चिम–** चांद खान का प्लॉट, **उत्तर–**असलम का प्लॉट, **दक्षिण–** मुसब्बीर अली का प्लॉट	सांकेतिक	रू. 29,50,000 /– रू. 2,95,000 /– रू. 20,000 /–
18.	1) **मेसर्स एमएसएन ट्रेडिंग कंपनी, श्री मोहम्मद नौशाद पुत्र श्री अय्यूब,** दिल्ली गेट, जंगला गढ़ी, सराय मियां, कोइल, अलीगढ़–202001 2) **श्री शानू पुत्र श्री मोहम्मद नौशाद,** दिल्ली गेट, जंगल गढ़ी, सराय मियाँ, कोइल, अलीगढ–202001	रू. **25,38,143 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 07.09.2022 से	**लॉट सं. 20)** आवासीय संपत्ति नगर निगम संख्या 10 / 320 (पुरानी) एवं नई संख्या 10 / 848, खसरा संख्या 2811 (भाग) सराय मियां, जुमगल गढ़ी, दिल्ली गेट, कोइल, अलीगढ **क्षेत्रफल–202.98 वर्ग मी., चौहद्दी–उत्तरः** दिलशाद का मकान, **दक्षिणः** सड़क, **पूर्वः** आबिद का मकान, **पश्चिमः** असलम का मकान	सांकेतिक	रू. 45,80,000 /– रू. 4,58,000 /– रू. 20,000 /–
19.	1.**श्रीमती शाहीन अख्तर पत्नी जावेद अख्तर,** जी 2 रिज़वी अपार्टमेंट मेडिकल रोड जामिया उर्दू दोधपुर कोइल अलीगढ़ 202001 2. **श्री इसनैन अख्तर पुत्र जावेद अख्तर,** जी 2 रिज़वी अपार्टमेंट मेडिकल रोड जामिया उर्दू दोधपुर कोइल अलीगढ़ 202001	रू. **24,62,998 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 30.01.2023 से	**लॉट सं. 21)** आवासीय डबल स्टोरी मकान **क्षेत्रफल 111.47 वर्गमीटर (133.33 वर्ग गज)** जो कि खेत संख्या 470 का हिस्सा है, स्थित पटवारी का नगला बरौली बाईपास रोड मौजा रामगढ़ पुंजूपुर पोस्ट व तहसील कोइल अलीगढ़ उ.प्र. 202001, **चौहद्दीः–पूर्व–** एरिया 25 फीट अन्य प्लॉट के बाद, **पश्चिम–** एरिया 25 फीट रास्ता 20 फीट चौड़ा, **उत्तर–** एरिया 48 फीट प्लॉट मोहम्मद सलीम इसराइली के बाद, **दक्षिण–** एरिया 48 फीट उसके बाद लॉट गिजाला तबस्सुम	सांकेतिक	रू. 38,70,000 /– रू. 3,87,000 /– रू. 20,000 /–
20.	1. **श्री सचिन कुमार पुत्र श्री रोडस कुमार,** न्यू हनुमान पुरी, गली नंबर 2, गंभीरपुरा अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202001 2. **श्री विकास कुमार पुत्र श्री रोडस कुमार,** न्यू हनुमान पुरी, गली नंबर 2 , गंभीरपुरा अलीगढ, उत्तर प्रदेश–202001	रू. **21,89,441 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 18.10.2022 से	**लॉट सं. 22)** सभी भाग व हिस्से आवासीय प्लॉट स्थित खसरा संख्या 8 / 2 का हिस्सा, भगवान नगर, गली नंबर 2, पला साहिबाबाद, अंदर चुंगी, परगना व तहसील कोइल, जिला अलीगढ़–202001, **क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर, चौहद्दी–: उत्तर–**खेत विक्रेता, **दक्षिण–**खेत विक्रेता, **पूर्व–**20 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम–**खेत विक्रेता,	सांकेतिक	रू. 8,60,000 /– रू. 86,000 /– रू. 20,000 /–
21.	1. **श्री अजय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता,** पताः 46, माता वाला बाग, कोटला रोड, फिरोजाबाद। 2. **श्रीमती अनीता गुप्ता, पत्नी श्री अजय कुमार गुप्ता,** पताः 46, माता वाला बाग, कोटला रोड, फिरोजाबाद। 3. **श्री अंशुल गुप्ता, पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता,** पताः 46, माता वाला बाग, कोटला रोड, फिरोजाबाद।	रू. **51,04,889 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 31.01.2022 से	**लॉट सं. 23)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी निर्मित भाग और जुडनार सहित आवासीय ब्लॉक स्थित आवासीय मकान मोहल्ला–गोपाल नगर, फिरोजाबाद स्थित, **क्षेत्रफलः 139.96 वर्ग मीटर चौहद्दी–:उत्तरः** श्री विनोद की संपत्ति, **दक्षिणः** 12 फीट चौड़ा रास्ता, **पूर्वः** रिंकी गुप्ता की संपत्ति, **पश्चिमः** श्री चंदू की संपत्ति	सांकेतिक	रू. 52,70,000 /– रू. 5,27,000 /– रू. 20,000 /–
22.	1. **श्रीमती चंद्रवती राठौर,** पताः 14 / 5बी, नवादा बाजार, ताज गंज, जिला–आगरा, उ.प्र. –282001 2. **श्री नवल किशोर राठौर,** पताः 14 / 5बी, नवादा बाजार, ताज गंज, जिला–आगरा, उ.प्र.–282001	रू. **24,85,462 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 06.09.2022 से	**लॉट सं. 24)** आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निहित सर्वे नंबर / नगर निगम सं. 14 / 58बी, मोहल्ला –नवादा, ताजगंज, वार्ड, तहसील एवं जिला–आगरा, **क्षेत्रफलः 38.00 वर्ग मीटर चौहद्दी–:उत्तरः** रास्ता और रंग मार्केट, **दक्षिणः** नारायण दास की दुकान, **पूर्वः** रास्ता, **पश्चिमः** रास्ता	सांकेतिक	रू. 31,50,000 /– रू. 3,15,000 /– रू. 20,000 /–
23.	1. **श्री सुखवीर, पुत्र श्री रामजी लाल,** पताः ओल्ड हनुमानपुरी, गंभीरपुरा, जिला–अलीगढ़, उ.प्र.–202001 2. **श्रीमती नीलम, पत्नी सुखवीर,** पताः ओल्ड हनुमानपुरी, गंभीरपुरा, जिला–अलीगढ़, उ.प्र.–202001	रू. **29,93,062 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 18.06.2024 से	**लॉट सं. 25)** आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निहित खसरा संख्या 29 मिन का भाग, धनिपुर, तहसील–कोल, जिला–अलीगढ, **क्षेत्रफलः 83.61 वर्ग मीटर चौहद्दी–:उत्तरः** शेष प्लॉट श्री उपेंद्र कुमार के 60 फीट माप के बाद, **दक्षिणः** ममता तिवारी, रुक्मणी व अन्य के प्लॉट के 60 फीट माप के बाद, **पूर्वः** 20 फीट चौड़ा रास्ता, 15 फीट माप के बाद, **पश्चिमः** देवेंद्र पाल और मनोज पाल के प्लॉट के 15 फीट माप के बाद	सांकेतिक	रू. 18,80,000 /– रू. 1,88,000 /– रू. 20,000 /–
24.	**श्रीमती संध्या मिश्रा, पुत्री श्री आर. के. मिश्रा,** पता 1 – मकान संख्या / फ्लैट संख्या 202, अल्लाहया गैलेक्सी अपार्टमेंट, प्रग नारायण रोड, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश, पता 2–फ्लैट संख्या 01, शक्ति पैराडाइज, मल्लोर रोड, लखनऊ–226028, उत्तर प्रदेश	रू. **37,46,747.36** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 24.04.2024 से	**लॉट सं. 26)** साम्यिक बंधक फ्लैट संख्या 01, शक्ति पैराडाइज, मल्लोर रोड, खसरा संख्या 49(अ) एवं 49(ब), चक मल्हौर, वार्ड –चिन्हट, जिला–लखनऊ, **क्षेत्रफलः 1650.00 वर्ग फीट चौहद्दी–:उत्तरः** अन्य संपत्ति, **पूर्वः** साझा मार्ग, **पश्चिमः** खुली भूमि, **दक्षिणः** फ्लैट संख्या 02	सांकेतिक	रू. 52,50,000 /– रू. 5,25,000 /– रू. 20,000 /–
25.	1. **मेसर्स एस. के. ज्वेलर्स, प्रो. श्री संजीव कुमार सोनी, पुत्र श्री राम कृष्ण सोनी** (ऋणी), निवासी चौक रोड, वीर विनय चौक, चौक, बलरामपुर, उ.प्र. –271201 2. **श्री संजीव कुमार सोनी, पुत्र श्री राम कृष्ण सोनी (ऋणी),** निवासी मकान संख्या 915, मोहल्ला–खालवा दाहिनी, टेढ़ी बाज़ार नगर परिषद, बलरामपुर, उ.प्र.–271201 3. **श्री राम कृष्ण सोनी, पुत्र श्री मैकू सोनी (जामानतकर्ता),** निवासी 218, टेढ़ी बाज़ार, बलरामपुर, उ.प्र. –271201	रू. **34,86,968.21** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 15.09.2022 से	**लॉट सं. 27)** सभी भाग व हिस्से मकान संख्या 915 / 1, मोहल्ला खालवा दकिनी, वार्ड टेढ़ी बाज़ार, नगर पालिका परगना, जिला– बलरामपुर, **श्री राम कृष्ण सोनी के नाम पर, क्षेत्रफलः 1030 वर्ग फीट चौहद्दी–:पूर्वः** विक्रेता (श्री अकरम) की भूमि, **पश्चिमः** आम रास्ता, **उत्तरः** दुर्गा प्रसाद कोठी तक रास्ता, **दक्षिणः** गली और कल्लू चिकवा अल्लास पत्नी अहमद उल्ला का मकान,	सांकेतिक	रू. 15,90,000 /– रू. 1,59,000 /– रू. 20,000 /–
			लॉट सं. 28) सभी भाग व हिस्से मकान संख्या 888, मोहल्ला खालवा दकिनी, वार्ड 29, परगना, जिला–बलरामपुर, **श्री राम कृष्ण सोनी के नाम पर, क्षेत्रफलः 2464 वर्ग फीट चौहद्दी–:पूर्वः** कृष्ण कुमार चौधरी का मकान, **पश्चिमः** इदरीश का मकान, **उत्तरः** सड़क, **दक्षिणः** नाला	सांकेतिक	रू. 37,40,000 /– रू. 3,74,000 /– रू. 20,000 /–
	शाखा–ललितपुर, ई–नीलामी दिनांक–30.03.2026				
26.	1) **श्री संतराम पुत्र नन्ने लाल,** पता 1: वार्ड संख्या 4, छिपई रायपुर पिपरा रायपुर, बरौदा स्वामी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश–284124, पता 2: हड़बहार नगर पालिका संख्या 682उ का भाग, मोहल्ला नेहरू नगर (वार्ड संख्या 4), जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश–284124 2) **श्रीमती सोमवती पत्नी श्री संतराम,** पता 1: वार्ड संख्या 4, छिपई रायपुर पिपरा रायपुर, बरौदा स्वामी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश–284124, पता 2: हड़बहार नगर पालिका संख्या 682उ का भाग, मोहल्ला नेहरू नगर (वार्ड संख्या 4), जिला	रू. **18,74,222 /–** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 02.01.2025 से	**लॉट सं. 29)** साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निर्मित व फिक्चर्स के साथ आवासीय सम्पत्ति हड़बहार नगर पालिका संख्या 682एम का भाग, मोहल्ला नेहरू नगर (वार्ड संख्या 4), जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश–284124, **क्षेत्रफलः 74.36 वर्ग मीटर चौहद्दीः–उत्तरः** कर्मल वाले की संपत्ति, **पूर्वः** सोमवती और भानकुवर की संपत्ति, **पश्चिमः** प्रियंका की संपत्ति, **दक्षिणः** सड़क 17.00 फीट चौड़ी	सांकेतिक	रू. 19,20,000 /– रू. 1,92,000 /– रू. 20,000 /–

अदालत ने कहा कि आपने आरोपी की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी, अनुचित हिरासत के कारण हुए नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे

सीबीआई का आरोप पत्र खारिज, ईडी पर भी सवाल

कोर्ट रूम लाइव

■ हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। कथित आबकारी नीति घोटाला मामले मे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को अदालत ने न केवल आरोपमुक्त किया, बल्कि क्लीनचिट भी दी है। अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र को ही खारिज कर दिया है। साथ ही ईडी द्वारा दर्ज मुकदमे पर भी सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि आपने शिकायत दर्ज कर आरोपी की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। आरोपी के आरोमुक्त होने के बाद अनुचित हिरासत के कारण हुए नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह की अदालत ने 598 पेज का फैसला सुनाया। इस फैसले में आरोपियों खासतौर से मनीष सिसोदिया व अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल में बिताए समय को उल्लेखित करते हुए अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया कानून के शासन को बनाए रखने के लिए है।

जज ने कहा कि यह अदालत एक गंभीर व बार-बार उत्पन्न होने वाली दुविधा का सामना कर रही है, जिसमें पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत शुरू किए गए मुकदमों के कारण किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है। कोर्ट ने कहा, यह ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थायी व अप्रमाणित आरोप के आधार पर लंबे या अनिश्चितकालीन हिरासत का मार्ग प्रशस्त करती है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है।

अदालत ने कहा कि यह मुद्दा उस वक्त और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी आरोपी को धन शोधन के अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसे जमानत पाने के लिए निर्धारित कठोर दोहरी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस वजह से मुकदमे से पूर्व में भी लंबे समय तक आरोपी को हिरासत में रहना पड़ता है।



कथित आबकारी मामले में अदालत से आरोपमुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर जश्न मनाते हुए सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ● सोनू मेहता

अदालत की नौ अहम टिप्पणी

1 सीबीआई का मामला न्यायिक जांच में खरा नहीं उतर सका। निराधार साबित हुआ है।

2 किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष का मामला कानूनी रूप से कमजोर, अस्थिर व कानून की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए अनुपयुक्त है।

3 साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि यह नीति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श व परामर्श के बाद तथा कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तैयार की गई थी।

4 किसी दोषपूर्ण नीति या स्पष्ट रूप से गैरकानूनी कार्यान्वयन के अभाव में अभियोजन का सिद्धांत केवल अनुमान मात्र रह जाता है।

5 संबंधित संस्थाओं से जुड़े प्रतिबंधों या किसी अन्य नीतिगत शर्त का कोई स्पष्ट उल्लंघन नहीं पाया गया, जिससे आपराधिक मामला बन सकता था।



6 प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि जांच के दौरान अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक विशाल व जटिल साजिश का आभास पैदा करने का प्रयास किया गया, जो कानूनी रूप से मान्य सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है।

7 ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एक पूर्वनिर्धारित दिशा में आगे बढ़ी है, जिसमें नीति के निर्माण या कार्यान्वयन से जुड़े लगभग हर व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है ताकि कमजोर कहानी को गहराई व विश्वसनीयता का भ्रम दिया जा सके।

8 इस तरह के आरोपों को गोवा विधानसभा चुनावों से जोड़कर कथित अपराध की आय के हेरफेर व उपयोग को दर्शाने का प्रयास, कानूनी रूप से मान्य सामग्री की तुलना में अनुमानों पर अधिक आधारित है।

9 अभियोजन पक्ष द्वारा पेश आरोप पत्र में मामला काफी हद तक अनुमानों, अटकलों व ठोस सबूतों के अभाव में किए गए निष्कर्षों पर आधारित है।

माफी मांगे केंद्र : केजरीवाल

नईदिल्ली। केजरीवाल ने कहा है कि अदालत के आदेश से साफ हो गया कि केजरीवाल व आप नेता कट्टर ईमानदार हैं। केंद्र को अब पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आप प्रमुख ने कहा कि दिल्ली की जनता आप सरकार के कामों से खुश थी। काम की राजनीति के आधार पर दिल्ली में भाजपा खड़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने केजरीवाल व आप सरकार की ईमानदारी पर चोट करने का षड्यंत्र रचा। आप नेता ने कहा कि जब बेईमान कहकर उनके परिवार को ताने मारे जाते हैं तो उन्हें फर्क पड़ता है। इसलिए जेल से आने के बाद यह तय किया था कि तब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक चुप रहूंगा। मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। मनीष सिसोदिया व उनका पूरा परिवार फर्जी शराब घोटाले के षड्यंत्र का बड़ा भुक्तभोगी है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। केंद्र सरकार के षड्यंत्र का खामियाजा दिल्ली की तीन करोड़ जनता भुगतान कर रही है।

आमने-सामने

'फैसले का अध्ययन कर जवाब देंगे'

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आप नेता अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में अदातल से बरी कर दिए जाने को भाजपा ने तकनीकी मामला करार दिया है। पार्टी ने कहा कि फैसले का व्यापक अध्ययन कर जबाब देगी। दिल्ली की एक अदालत से केजरीवाल को बरी कर दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने सबूतों के अभाव में फैसला सुनाया है, लेकिन यह एक तकनीकी विषय भी है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि सैकड़ों मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिए गए थे, जो मामले में सबूत थे। अब, उन्हें क्यों नष्ट किया गया और इससे केस में सबूत कैसे कम हुए सीबीआई ऐसे तकनीकी मामलों को देखेगी और अपना अगला कदम तय करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं। उनके कार्यकाल में सामने आए कथित शराब घोटाले के मामले में निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि यह केवल कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।



" अरविंद केजरीवाल के साथ आज सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा। भाजपा के लिए ये समाचार किसी 'नैतिक मृत्युदंड' से कम नहीं है।

– **अखिलेश यादव**, सपा प्रमुख



" जहां अलग-अलग पार्टियां, जातियां, धर्म और समुदाय हैं, यह न्यायपालिका के कारण ही सुचारू रूप से काम करते हैं। इसके बिना, अराजकता फैल जाएगी। अदालत ने फैसला सुना दिया है कि केजरीवाल दोषी नहीं हैं, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। – **अन्ना हजारे**, सामाजिक कार्यकर्ता

नई शराब नीति क्या थी?

17 नवंबर 2021 को नीति लागू की। 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस लाइसेंस के लिए पहले 25 लाख देना पड़ता था, नई नीति में पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े।

आरोप क्यों लगे?

नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगे। आरोप था कि सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया था। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफिया को लाइसेंस मिला।

राजस्व में कमी होने का आरोप

आरोप शराब की बिक्री को लेकर भी था। एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपये का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये वैट के रूप में सरकार को मिलता था। एक बोतल पर सरकार को 329.89 रुपये का फायदा मिलता था। नई नीति से इसी मुनाफे में खेल होने दावा किया गया। रिटेल का मुनाफा 33.35 रुपये से बढ़कर सीधे 363.27 रुपये पहुंच गया। सरकार को मिलने वाला फायदा घट गया।

बताया फायदे का सौदा था?

तब की केजरीवाल सरकार का तर्क था कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से दिल्ली सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई। इससे राजस्व बढ़ा।

जांच कैसे शुरू हुई?

इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई।

गाजियाबाद में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पर जानलेवा हमला

लोनी/गाजियाबाद, संवाददाता। कुरीतियों को दूर करने की बात करने वाले और इस संबंध में वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पर शुक्रवार को बाइक सवार दो बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। गर्दन रेतकर और पेट में चाकू मारकर हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने घायल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

लोनी थाना क्षेत्र की अली गार्डन कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय सलीम वारसी यू-ट्यूब पर सलीम वास्तिक 0007 के नाम से चैनल चलाते हैं। वह खुद को एक्स मुस्लिम यानी पूर्व मुस्लिम बताते हैं। शुक्रवार सुबह वह मकान में बने कार्यालय में बैठे हुए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि करीब साढ़े सात बजे हेलमेट पहने बाइक सवार दो बदमाश उनके कार्यालय पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए चाकू से सलीम वारसी पर हमला कर दिया। पुलिस गंभीर हालत में यू-ट्यूबर को संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उन्हें जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया।



होली बाद घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार: शाह

पूर्णिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में शुक्रवार को पूर्णिया में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। सीमांचल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन पूर्णिया के एक होटल में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक की गयी।



अस्पतालों में सुविधाएं दुरुस्त करें: ब्रजेश

निर्देश

ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और एमआरआई की सुविधा मिलेगी। इन अस्पतालों में दवा, उपकरण, अग्निशमन समेत अन्य जरूरी आपात सुविधाएं एक माह में दुरुस्त होंगी।

शुक्रवार को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीनों मंडल की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति एक माह बाद फिर परखी जाएगी, कहीं पर कमी पाई जाती है तो संबंधित मंडल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों के लिए रैन बसेरा, दवा, उपकरण, साइनेज, सिटीजन चार्टर, स्वच्छता, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस बैठक में एसीएस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष, निदेशक एनएचएम पिंकी जोएल, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. पवन कुमार अरुण, महानिदेशक ट्रेनिंग डॉ. रंजना खरे, तीनों मंडलों के अपर निदेशक (स्वास्थ्य) आदि मौजूद रहे।



यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंडलों की समीक्षा की

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छह से आठ फरवरी तक वह मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर मंडलों के 14 जनपदों की लगभग 2437 चिकित्सा इकाइयों का निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के आदेश दिए गए, जिन पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री शुक्रवार शाम लोनी स्थित महिला डिग्री कालेज में होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के कार्यों के बारे में बताया।

देश 30s

दो अग्निवीर प्रशिक्षुओं की मौत पर अलर्ट

शिलांग। मेघालय सरकार ने शिलांग स्थित सेना के एक प्रशिक्षण केंद्र में मेनिंगोकोकल संक्रमण के संदिग्ध मामलों के सामने आने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी की। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। दो अग्निवीर प्रशिक्षुओं की संदिग्ध मेनिंगोकोकल संक्रमण से मौत होने की खबर के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है।

फिल्म 'द केरल स्टोरी-2' की रिलीज का रास्ता साफ

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड' की रिलीज का मार्ग प्रशस्त करते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फिल्म के प्रदर्शन पर 15 दिनों की रोक लगाई गई थी। फिल्म की रिलीज पर रोक लगने के कुछ घंटों बाद गुरुवार देर रात फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह द्वारा दायर अपील पर पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।

विजय से तलाक लेंगी पत्नी संगीता

चेन्नई। टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने तलाक के लिए अदालत में याचिका दायर की है। आरोप लगाया है कि अभिनेता का एक अभिनेत्री के साथ कथित 'अवैध संबंध' था, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। संगीता का दावा है कि 2021 में उन्हें इस संबंध की जानकारी मिली और इसके बाद से दंपति के रिश्ते में दूरी बढ़ती गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिनेता का व्यवहार उनके प्रति उपेक्षापूर्ण हो गया।

कोर्ट ने तबादले को लेकर नीतिगत निर्णय लिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक जिस जज को किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव हो, उनका तबादला पद रिक्त होने से काफी पहले, दो महीने पूर्व ही कर दिया जाए। कॉलेजियम ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि संबंधित जज इस बीच कामकाज से परिचित हो सकें और निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति पर मुख्य न्यायाधीश के पद का कार्यभार संभाल सकें।

पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धौनी को नोटिस



रांची। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस भेजा है। नोटिस बीते 20 जनवरी को उनके हरमू स्थित आवास पर चल रहे व्यावसायिक उपयोग को लेकर जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि आवास बोर्ड की ओर से दी गई भूखंड संख्या- एच-(10) ए का धौनी ने व्यावसायिक उपयोग किया है, जबकि यह भूखंड उन्हें सिर्फ आवासीय गतिविधि के इस्तेमाल के लिए दिया गया था।

भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल हुआ 'अंजदीप'



चेन्नई। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को आईएनएस अंजदीप युद्धपोत का जलावतरण किया। इस युद्धपोत का उद्देश्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और तटीय निगरानी को बढ़ाना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने चेन्नई बंदरगाह पर पोत का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि नौसेना की योजना इस साल आईएनएस अंजदीप के अलावा 15 और पोतों को शामिल करने की है। नौसेना प्रमुख ने इसमें अत्याधुनिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

सुप्रीम कोर्ट से स्पाइसजेट की याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट और कंपनी के चेयरमैन अजय सिंह द्वारा 144.5 करोड़ रुपये जमा करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मध्यस्थता विवाद में 144.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

भारत ने 5जी के क्षेत्र में नया मुकाम पाया: सिंधिया



नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि भारत अब केवल तकनीक अपनाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर दूरसंचार के मानक तय करने वाला देश बन चुका है। देश ने वैश्विक स्तर पर सबसे तेज 5जी लागू करने का रिकॉर्ड बनाया है। एक कार्यक्रम में सिंधिया ने भारत की डिजिटल शक्ति और संचार तकनीकों पर अपना विजन साझा किया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
भारत सरकार का उद्यम *एक परिवार एक बैंक*
अंचल कार्यालय-एलडीए ऑफिस के सामने, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, ई-मेल-legal_luc@mahabank.co.in, प्रधान कार्यालय-लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5

ई-नीलामी सूचना

क्र. सं.	ऋणी / ज़मानतदार का नाम एवं पता	बकाया धनराशि जिसके लिए सम्पत्ति विक्रय की जा रही है	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि की राशि
	शाखा-ललितपुर, ई-नीलामी दिनांक-30.03.2026				
27.	**1) श्री भरत सिंह,** पता1: ग्राम टीरी, तहसील तालबेहत, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश-284126, पता2: दुकान, हड़बहार नगर पालिका संख्या 5834एम का भाग, मोहल्ला नेहरू नगर, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश-284403 **2) श्रीमती रामदेवी, पत्नी श्री भरत सिंह,** पता1: ग्राम टीरी, तहसील तालबेहत, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश-284126, पता2: दुकान, हड़बहार नगर पालिका संख्या 5834एम का भाग, मोहल्ला नेहरू नगर, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश-284403	रू. **14,19,848/-** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 03.09.2024 से	**लॉट सं. 30)** साम्पिक बंधक प्लॉट और भूमिं दुकान, हड़बहार नगर पालिका संख्या 5834एम का भाग, मोहल्ला नेहरू नगर (राम नगर वार्ड संख्या 06), जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश-284403, **क्षेत्रफल: 74.34 वर्ग मीटर चौहद्दी:-उत्तर:** रास्ता, **पूर्व:** पप्पू यादव का प्लॉट, **पश्चिम:** विश्वकर्मा का प्लॉट, **दक्षिण:** अन्य का प्लॉट	सांकेतिक	रू. 21,58,000/- रू. 2,15,800/- रू. 20,000/-
	शाखा-हमीरपुर, ई-नीलामी दिनांक-30.03.2026				
28.	**1) श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय रामकांत मिश्रा,** पता: विवेक नगर, विद्या मंदिर रोड, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश -210301 **2) श्री संदीप कुमार मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय रामकांत मिश्रा,** पता: विवेक नगर, विद्या मंदिर रोड, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश-210301	रू. **20,20,420/-** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 11.03.2025 से	**लॉट सं. 31)** साम्पिक बंधक फैक्ट्री, प्लॉट व भूमि स्थित मकान संख्या 15/350 (नया), 17/103 (पुराना), वार्ड संख्या 11, मोहल्ला मझखोर, रामेड़ी (विवेक नगर), तहसील/सदर/जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, **क्षेत्रफल: 151.11 वर्ग मीटर, चौहद्दी:-उत्तर:** निकास एवं सहन बादाहु रास्ता, 7 फीट चौड़ा, **पूर्व:** बेदी देवी का मंदिर, **पश्चिम:** राकेश अवस्थी एवं कृष्ण कुमार अवस्थी का मकान, **दक्षिण:** राजेंद्र प्रसाद शर्मा का मकान	सांकेतिक	रू. 33,60,000/- रू. 3,36,000/- रू. 20,000/-
	शाखा-मऊरानीपुर, ई-नीलामी दिनांक-30.03.2026				
29.	**मेसर्स मुस्कान ट्रेडर्स, प्रो. संतोष कुमार राय,** पता-नदी पार कटरा, मऊरानीपुर, झांसी, पिन-284204 **विनीता राय, पत्नी संतोष राय,** पता- नदी पार कटरा, मऊरानीपुर, झांसी, पिन-284204	रू. **19,46,428.16** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 29.01.2025 से	**लॉट सं. 32)** साम्पिक बंधक प्लॉट एवं भूमि स्थित मकान सं. 251, मोहल्ला कुराचा नाका, बहरो मंदिर के पास, मऊरानीपुर, **क्षेत्रफल: 1100.00 वर्ग फीट, चौहद्दी-:उत्तर:** खेत श्री राम लखन व अन्य, **पूर्व:** चक रोड, तत्पश्चात खेत श्री राम आसरे, **पश्चिम:** इटौंजा कुर्सी रोड से भिठारी मार्ग, **दक्षिण:** खेत श्री केदार नाथ	सांकेतिक	रू. 13,00,000/- रू. 1,30,000/- रू. 20,000/-
30.	**सीमा राणा, पत्नी धर्म पाल,** पता 1- वन विभाग कॉलोनी, बबीना कैंट, झांसी, पिन-284401, पता 2-गौरव गेस्ट हाउस के पास, मऊरानीपुर, झांसी, पिन-284204 **सुरजीत सिंह राणा, पुत्र धर्म पाल,** पता 1-वन विभाग कॉलोनी, बबीना कैंट, झांसी, पिन-284401, पता 2-गौरव गेस्ट हाउस के पास, मऊरानीपुर, झांसी, पिन-284204	रू. **19,92,085/-** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 21.08.2025 से	**लॉट सं. 33)** साम्पिक बंधक सम्पत्ति के सभी निर्मित भाग और जुडनार सहित स्थित आराजी संख्या 157/1 के भाग पर स्थित मकान, मौजा खरकसानी, तहसील-मऊरानीपुर, जिला -झांसी, **क्षेत्रफल: 1500 वर्ग फीट, चौहद्दी-:उत्तर:** जैबाई पत्नी मुन्ना लाल का प्लॉट, **पूर्व:** आम आदमी रास्ता, 15 फीट चौड़ा, **पश्चिम:** अमनपुरा वाले अहिरवार का प्लॉट, **दक्षिण:** आम आदमी रास्ता	सांकेतिक	रू. 30,00,000/- रू. 3,00,000/- रू. 20,000/-
	शाखा-सीतापुर, ई-नीलामी दिनांक-30.03.2026				
31.	**मेसर्स बलराम ऑटोमोबाइल्स, प्रो. राम कृष्ण,** पता: राम नगर कटखरी खुर्द, हरदोई रोड, सीतापुर, पिन-261001 **राम कृष्ण दीक्षित, पुत्र बलराम प्रसाद,** पता: मकान संख्या 6, मुंशी गंज, सीतापुर, उ.प्र. -261001 **शिव देवी दीक्षित,** पता: मकान संख्या 6, मुंशी गंज, सीतापुर, उ.प्र. -261001	रू. **49,40,956/-** + ब्याज संविदात्मक रेट, कीमत, चार्जेस एवं खर्च 20.08.2025 से	**लॉट सं. 34** साम्पिक बंधक भूमि व भवन निर्माण स्थित गाटा संख्या 773, नगर पालिका 6, मकान संख्या 6, मुंशी गंज, सीतापुर, **क्षेत्रफल: 1479.75 वर्ग फीट, चौहद्दी-:उत्तर:** विक्रेता का प्लॉट, **पूर्व:** मोहन बाबू का बाग, **पश्चिम:** जैनाब खातून का प्लॉट, **दक्षिण:** रास्ता	सांकेतिक	रू. 46,50,000/- रू. 4,65,000/- रू. 20,000/-

नोट: उपरोक्त सभी सम्पत्तियों पर भार/अन्य चार्ज इत्यादी की जानकारी-: प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान मे किसी तरह का भार/अन्य चार्ज जानकारी में नही है।
विक्रय निर्धारित निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के कठोरता से अनुपालन की शर्त पर है और "जैसा है जहाँ है" तथा ""जो कुछ भी है वही है" दायित्व रहित आधार पर किया जायेगा।
1. यह बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों द्वारा अनुशासित हैं एवं निम्नलिखित विशिष्ट नियम एवं शर्तों के अधीन है:
2. उल्लिखित सम्पत्ति हेतु नीलामी विक्रय केवल वेबसाइट **https://baanknet.com** के माध्यम से "ऑनलाइन ई- नीलामी/संविदा" के माध्यम से उपर लिखित तिथि को दोपहर 01:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक सम्पन्न होगी। नीलामी के अन्तिम 5 मिनटों में संविदा प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक 5-5 मिनट के असीमित विस्तार दिया जायेगा। संविदाकार सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन संविदा के दौरान अपने प्रस्ताव सम्पत्तियों के सामने लिखित राषी के गुणक में बढ़ा सकेंगे।
3. **संविदाकार द्वारा ईएमडी सहित ऑनलाइन संविदा हेतु केवाईसी जमा करने उपरोक्त सम्पत्तियों हेतु अन्तिम तिथि उपर लिखित है।**
4. ई- नीलामी के इच्छुक भागीदार विक्रय सूचना की प्रतियाँ, ई- नीलामी के नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी के प्रचालनातमक भाग के हेल्प मैनुअल **https://baanknet.com** से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं
5. इच्छुक संविदाकार/क्रेता से अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी का प्रयोग करते हुए पोर्टल (**https://baanknet.com**) पर पंजीकृत होने का निवेदन किया जाता है। पुनः उन्हें अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने हैं। ई- नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा एक बार केवाईसी दस्तावेज सत्यापित होने में समय लग सकता है। इच्छुक संविदाकारों /क्रेताओं को अपने ग्लोबल वालेट में ऑनलाइन/चालान वेबसाईट माध्यम का प्रयोग करते हुए ईएमडी राशि अन्तरित करनी होगी। उसके वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने के पश्चात ही इच्छुक संविदाकार ई-नीलामी की तिथि पर बोली लगाने में सक्षम होंगे।
6. उपर्युक्त जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (**https://baanknet.com**) से चालान सृजित करने के उपरान्त अथवा ऑनलाइन माध्यम से संविदाकार के ग्लोबल वालेट में जमा करनी होगी। तत्पष्चात नियत तिथि को बोली लगाई जा सकती है। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविदाकार स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविदाकारों को ई- नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
7. संविदाकार एक या सभी सम्पत्तियों, जैसी स्थिति हो, के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं। एक से अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्ताव की स्थिति में संविदाकार को प्रत्येक सम्पत्ति के लिए ईएमडी जमा करनी होगी। बोली के समय संविदाकार के ग्लोबल वालेट में पर्याप्त राशि (ईएमडी राशि के बराबर या अधिक) होनी चाहिए।
8. विक्रय सूचना, ई- नीलामी के नियम एवं शर्तें, ई- नीलामी के प्रचालनात्मक भाग का हेल्प मैनुअल उचित रूप से पढ़ना तथा उसका दृढ़ता से अनुपालन करना इच्छुक संविदाकार (रों) का उत्तरदायित्व है।
9. ई-नीलामी प्रक्रिया के पूर्व या उसके दौरान किसी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता के लिए हमारे ई- नीलामी सेवा प्रदाता **https://baanknet.com** के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करें। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।
10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई- नीलामी को अन्तिम स्वरूप दिये जाने के बाद केवल सफल संविधाकार को हमारे उपर्युक्त सन्दर्भित सेवा प्रदाता द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा। (उसके द्वारा प्रदत्त मोबाइल नम्बर/ई-मेल पते पर/ सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत)
11. प्रतिभूत आस्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।
12. सफल संविदाकार को जमा की गयी ईएमडी राशि घटाकर संविदा राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन या अधिकतम अगले कार्यदिवस तक बैंक में सीधे जमा करनी होगी तथा शेष राशि नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से खाता नाम- **SARFAESI AUCTION ACCOUNT**, खाता सं. **60441918056**, **IFSC कोड: MAHB0001281 बैंक ऑफ महाराष्ट्र विकास नगर, लखनऊ शाखा** में जमा करना होगी। उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर राशियों के जमा करने में असफल होने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी और **SARFAESI** अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की नई नीलामी/ बिक्री करने का अधिकार होगा तथा चूककर्ता संविदाकार का जब्त की गयी राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
13. **संविदाकारों के लिए चेतावनी:** (अ) बैंक के पूर्ण संज्ञान में सम्पत्ति पर कोई ऋणभार ज्ञात नहीं है। फिर भी, इच्छुक संविदाकारों को ई- नीलामी प्रक्रिया में अपनी संविदा जमा करने से पूर्व ऋण भारी, नीलामी पर रखी सम्पत्ति के स्वामित्व, सम्पत्ति का भौतिक क्षेत्रफल तथा दावों /अधिकारों /बकाया/सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। पुनः संविदाकारों को बोली लगाने से पूर्व किसी विधिक बकायों, कर के बकायों, दावों आदि के विषय में स्वयं अपनी निजी पूछताछ कर लेनी चाहिए। ई- नीलामी विज्ञान बैंक की ओर से किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधिन को न तो निर्मित करता है और न निर्मित करेगा। यह सम्पत्ति बैंक की जानकारी या गैर- जानकारी में समस्त वर्तमान तथा भावी ऋणभारों सहित बिक्री की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी प्रकार से किसी दावे/अधिकार/बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
(ब) बैंक बिक्री हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि के लिए अथवा कथित सम्पत्ति की बिक्री के परिप्रेक्ष्य तथा/अथवा सम्बन्ध में किसी बकाये जैसे पानी/सेवा प्रभार के बकाये, अन्तरण शुल्क, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/सहकारी आवास समिति के बकाये या कोई अन्य बकाये, कर, लेवी, शुल्क, अन्तरण शुल्क, यदि कोई हो, का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। सफल संविदाकार को सम्पत्ति के क्रय से सम्बन्धित आयकर के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा तथा प्रयोज्य दरों के अनुसार प्राधिकरणों को कर अदा करने होंगे।
(स) संविदाकारों को सम्बद्ध राजस्व रिकार्ड/अन्य विधिक प्राधिकरणों जैसे विक्रय कर/आबकारी/आयकर आदि से सत्यापित करने की सलाह/ चेतावनी दी जाती है तथा अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व स्वयं को सम्पत्ति की प्रकृति, विवरणा दशा, ऋण, भार, लिएन, प्रभार, विधिक बकायों आदि के विषय में सन्तुष्ट कर लेना चाहिए।
(द) संविदाकारों को संविदा जमा करने तथा ऑनलाइन बोली/नीलामी में भाग लेने से पूर्व बिक्री के समस्त नियम एवं शर्तों तथा साथ ही संगत सार्वजनिक बिक्री सूचना के विस्तृत विवरण को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है।
(य) बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेज में प्रदर्शित सरकार/स्थानीय निकाय के प्रति बकाया विधिक देयताएँ/दायित्व आदि क्रेता(ओं) द्वारा वहन किया जायेगा।
(र) बिक्री की सूचना स्थानीय भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है। यदि इसी व्याख्या में कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण को वरीयता दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस आम ई-नीलामी को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इसे निरस्त करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
14. संविदाकारों बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है, कृपया बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक **https://www.bankofmaharashtra.in/propsale.asp** तथा साथ ही ई-विक्रय पोर्टल **https://baanknet.com** देखें या सम्पर्क करें ईमेल-**support.ebkray@psballiance.com** ई-विक्रय मो. 8291220220 तथा मुख्य प्रबंधक वसूली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश सुगर कार्पोरेशन लिमिटेड, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 पर संपर्क किया जा सकता है। (इमेल-cmmarc_luc@bankofmaharashtra.bank.in), श्री मनीष सिंह (इमेल-legal_luc@bankofmaharashtra.bank.in)

*** इस आम सूचना के माध्यम से ऋणी व ज़मानतदार को सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा सहपठित नियम 8(6) के अंतर्गत नीलामी पूर्व 15/30 दिनों का क्रमशः वैधानिक नोटिस भी दिया जाता है।**

दिनांक: 28.02.2026 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लखनऊ अंचल